

द्विवर्षीय डी.एल.एड. प्रशिक्षण प्रवेश परीक्षा 2025 हेतु चयनित (औपबंधिक) अभ्यर्थियों की काउंसलिंग के पश्चात् प्रवेश हेतु दिशा-निर्देश

उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद रामनगर, नैनीताल द्वारा दिनांक 22 नवम्बर, 2025 को आयोजित डी.एल.एड. प्रवेश परीक्षा 2025 का परीक्षाफल अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में अंकित की गई सूचनाओं के आधार पर औपबंधिक रूप से घोषित किया गया है। राज्य स्तरीय काउंसलिंग के पश्चात् चयनित अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण हेतु जनपद/जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान आवंटित किया गया है। अभ्यर्थियों को प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश दिया जाएगा। अभ्यर्थियों को आवंटित जनपद में द्विवर्षीय डी.एल.एड. प्रशिक्षण में प्रवेश संबंधी दिशा-निर्देश निम्नवत हैं—

1. द्विवर्षीय डी.एल.एड. 2025 के प्रशिक्षण हेतु प्रवेश प्रक्रिया दिनांक 02 फरवरी, 2026 से 09 फरवरी, 2026 तक समस्त जनपदों के जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में सम्पादित की जाएगी। द्विवर्षीय डी.एल.एड. प्रशिक्षण 2025 हेतु प्रथम सेमेस्टर की कक्षाएँ विधिवत संचालित किए जाने हेतु सूचना पृथक से अवगत कराई जाएगी।
2. अभ्यर्थी आवंटित जनपद के जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में प्रवेश हेतु उक्त तिथि में अनिवार्यतः उपस्थित होना सुनिश्चित करें। उक्त तिथि के पश्चात् किसी भी अभ्यर्थी को प्रवेश नहीं दिया जाएगा तथा उसका प्रवेश हेतु कोई भी दावा मान्य नहीं होगा।
3. प्रवेश के समय अभ्यर्थियों को समस्त शैक्षिक अर्हता एवं अन्य (आरक्षण संबंधी) से संबंधित समस्त प्रमाणपत्रों की मूल प्रति तथा दो-दो छायाप्रति स्वहस्ताक्षरित, दो नवीनतम पासपोर्ट आकार की फोटोग्राफ एवं उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद् रामनगर, नैनीताल की विज्ञप्ति में उल्लिखित शैक्षिक अर्हता एवं अन्य से संबंधित समस्त प्रमाणपत्र प्रवेश के समय प्रस्तुत करने होंगे, जिनका विवरण निम्नवत् है—

क्र.सं.	अभिलेख
1	1. हाईस्कूल परीक्षा का अंकपत्र । 2. हाईस्कूल परीक्षा का प्रमाण-पत्र । 3. इण्टर परीक्षा का अंकपत्र । 4. इण्टर परीक्षा का प्रमाण-पत्र । 5. स्नातक परीक्षा के प्रत्येक वर्ष/सेमेस्टर परीक्षा के अंकपत्र । 6. स्नातक परीक्षा का प्रमाण-पत्र ।
2	SC/ST/OBC/EWS श्रेणी के संबंध में सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाणपत्र ।
3	DFF/PH/ Ex.Sol./ORPHAN उपश्रेणी के संबंध में सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाणपत्र ।

4	RA (राज्य आंदोलनकारी- स्वयं अथवा आश्रित) उपश्रेणी के संबंध में सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाणपत्र, (निर्धारित प्रारूप- 01 एवं प्रारूप- 02 पर)।
5	कुशल खिलाड़ी उपश्रेणी के संबंध में सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाणपत्र
6	उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद रामनगर, नैनीताल की विज्ञप्ति संख्या 30वि0शि0प0 / डी0एल0एड0प्र0प0- 2025 / विज्ञप्ति 01 / 326-330 / 2025-26, दिनांक 06 सितम्बर, 2025 के अनुसार एवं विवरणिका के अनुसार वांछनीय प्रमाणपत्र। (क) स्थाई निवास अथवा मूल निवास प्रमाणपत्र। (ख) नियोक्ता द्वारा जारी (अभिभावक/स्वयं का) सेवा/कार्यरत होने का प्रमाणपत्र (प्रमाणपत्र का प्रारूप संलग्न है)
7	1. डी.एल.एड. प्रवेश परीक्षा हेतु निर्गत प्रवेश पत्र। 2. आधार कार्ड अथवा कोई अन्य फोटो युक्त वैध आई.डी.।
8	दो पासपोर्ट साइज के फोटोग्राफ।

- जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में प्रमाणपत्र सत्यापन होने तक सभी अभ्यर्थियों का प्रवेश औपबन्धिक माना जाएगा।
- अभ्यर्थी प्रवेश के समय मुख्य चिकित्सा अधिकारी/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक द्वारा निर्गत स्वस्थता प्रमाणपत्र तथा अंतिम संस्था से प्राप्त किया गया चरित्र प्रमाणपत्र व अन्य दो राजपत्रित अधिकारियों से प्राप्त नवीनतम चरित्र प्रमाणपत्र जो छः माह से अधिक पुराने न हों, प्रस्तुत करेंगे। इस आशय का प्रमाणपत्र भी प्रस्तुत करेंगे कि अभ्यर्थी पर वर्तमान में मा. न्यायालय में कोई भी वाद योजित नहीं है।
- प्रवेश के समय अभ्यर्थी प्रथम वर्ष का शुल्क रु. 35,000.00 (पैंतीस हजार रुपये मात्र) का डिमाण्ड ड्राफ्ट संबंधित प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के पदनाम से जमा करेंगे।
- जिन अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण हेतु जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान चम्पावत आवंटित किया गया है, वे जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान पिथौरागढ़ में प्रवेश हेतु उपस्थित होंगे।


 (पदमेन्द्र सकलानी)
 अपर निदेशक
 एस.सी.ई.आर.टी. उत्तराखण्ड
 देहरादून